म.प्र.शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र./6507/ MGNREGS -MP/NR-3/SE-I/2013 भोपाल, दिनांक 11/09/2014

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति जिला कार्यक्रम समन्वयक

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.

जिला –समस्त (म.प्र.)

विषयः – महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत असफल कूपों को प्रमाणीकृत करने हेतु जिला स्तर पर प्रमाणीकरण समिति गठित कर कार्यों को यथास्थिति बंद करने बाबत्।

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत असफल कूपों को प्रमाणीकृत करने हेतु राज्य स्तरीय तकनीकी समूह की बैठक दिनांक 18/02/2014 में की गई अनुशंसा के अनुक्रम में, प्रमाणीकरण समिति का जिला स्तर पर गठन करते हुये, निम्नानुसार पदाधिकारियों को शामिल किया जावे –

1. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा – अध्यक्ष
2. परियोजना अधिकारी मनरेगा – सदस्य सचिव
3. कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा (संबंधित जनपद पंचायत) – सदस्य
4. सहायक भू–जलविद अथवा उपसंचालक कृषि (दोनों में से कोई भी एक) – सदस्य
5. सहायक यंत्री महात्मा गांधी नरेगा (संबंधित जनपद पंचायत) – सदस्य

उक्त समिति निम्न परिस्थितियाँ निर्मित होने पर, भौतिक सत्यापन के आधार पर कूप को असफल प्रमाणित करेगी –

i. कूप खुदाई के दौरान कडी चट्टान (हार्ड राक) आ जाने एवं पानी मिलने की संभावना लगभग समाप्त होने पर।

ii. कूप खुदाई 15 मी. तक होने के बाबजूद भी पानी का स्त्रोत नहीं निकलने पर, भले ही कड़ी चट्टान (हार्ड राक) न लगी हो।

iii. प्राकृतिक आपदा के कारण मिटटी धसकने से कूप का व्यास काफी ज्यादा हो जाने पर।

iv. खुदाई के बाद लंबे समय से कार्य बंद पडे रहने के कारण एवं आगे कार्य न होने की संभावना से।

जिला पंचायत स्तर पर प्रमाणीकरण समिति की प्रथम बैठक माह सितम्बर 2014 में आयोजित की जावे, जिसमें कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत अंतर्गत प्रश्नाधीन कूपों की ग्राम पंचायत वार सूची व प्रत्येक कूप की स्वीकृति से लेकर, वर्तमान स्थिति की टीप के साथ बैठक में उपस्थित होंगे तथा जनपद पंचायत वार समिति के फील्ड भ्रमण कार्यक्रम को अंतिम रूप देंगे। प्रमाणीकरण समिति द्वारा माह अक्टूबर 2014 में प्रश्नाधीन सभी कूप स्थलों का भ्रमण किया जाकर, अपनी अनुशंसा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के माध्यम से, जिला कार्यक्रम समन्वयक को भेजी जावे। प्रमाणीकरण समिति की अनुशंसा के आधार पर, कूपों के असफल घोषित किये जाने हेतु अनुमोदन, कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक से प्राप्त किया जावेगा।

तदोपरांत संबंधित जनपद पंचायत द्वारा असफल घोषित कूपों को यथास्थिति बंद कर पूर्णता/उपयोगिता प्रमाण जारी किये जावें।

असफल घोषित कूप को सुरक्षित एवं उपयोगी संरचना जैसे रिचार्ज पिट अथवा खेत तालाब के रूप में परिवर्तित किया जावे, ऐसा करने हेतु नवीन स्वीकृति जारी कर, प्राथमिकता के आधार पर कार्य संपादित कराया जावे। क्रियान्वयन एजेंसी की अरूचि व लापरवाही के कारण, कूप कार्य पूर्ण न होने पर, कार्य में किये गये व्यय की वसूली हेतु उत्तरदायित्व निर्धारण कर, नियमानुसार कार्यवाही एक माह के अंदर प्रारंभ की जावे।

जिले में प्राकृतिक आपदा या अन्य यथोचित कारणों से जनपद पंचायतों से असफल कूपों के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, तब प्रमाणीकरण समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित कर वांछित कार्यवाही पुनः की जा सकेगी।

(डॉ. अरूणा शर्मा) 19/9/14
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र./6508 / MGNREGS -MP/NR-3/SE-I/2013 भोपाल, दिनांक 11/09/2014

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय विन्ध्याचल भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. आयुक्त, समस्त संभाग, म.प्र।
5. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मण्डल (समस्त) म.प्र.।
6. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग (समस्त) म.प्र. की ओर पालनार्थ ।
7. कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (समस्त) म.प्र. की ओर पालनार्थ। कृपया अपने स्तर से सहायक यंत्री एवं उपयंत्रियों को इस आदेश की प्रति उपलब्ध करावें।

19/9/14
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग